कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-24.01.2024

विषयः- नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त विष्णु सेठ थाना कैण्ट पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार, अपहृता/पीड़िता सकुशल बरामद।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा गुमशुदा/अपहृता की बरामदगी तथा वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के पर्यवेक्षण मे व श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त कैन्ट के कुशल नेतृत्व मे **"आपरेशन चक्रव्यूह"** के तहत थाना कैण्ट पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0- 50/25 धारा 137(2),87 बी0एन0एस0 से सम्बन्धित नाबालिग अपहृता/पीड़िता को सकुशल बरामद करते हुए नामजद वांछित अभियुक्त विष्णु सेठ पुत्र गोपाल सेठ निवासी ग्राम सूजाबाद थाना रामनगर वाराणसी को गिरफ्तार किया गया। उक्त सम्बन्ध में थाना कैण्ट पुलिस द्वारा अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण- दिनांक 16/01/2025 को वादी मुकदमा द्वारा अपनी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री को शादी का झाँसा देकर बहला-फुसला कर भगा ले जाने के सम्बन्ध में लिखित प्रा.पत्र दिया गया जिसके आधार पर थाना कैण्ट में सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ.नि. बलवन्त कुमार द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

विष्णु सेठ पुत्र गोपाल सेठ निवासी ग्राम सूजाबाद थाना रामनगर वाराणसी उम्र करीब 25 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अपहृता/पीड़िता, उम्र करीब 17 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0- 0050/2025 धारा 137(2)/87 बीएनएस थाना कैंट कमिश्नरेट वाराणसी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 बलवन्त कुमार थाना कैण्ट कमि0 वाराणसी।
2. म0उ0नि0 संजना कुमारी थाना कैण्ट कमि0 वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।